>

Title: Need to protect the interests of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes keeping in view the decision of Hon'ble Supreme Court in M. Nagraj Case regarding reservation.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए नौकरी एवं पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की पीठों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के कारण पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियां पूरे देश भर में फैली हुई हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण उच्चतम न्यायालय का एम. नागराज केस भी है, जिसके निर्णय अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की संविधानिक व्यवस्था को लागू करने से पहले प्रत्येक केस में सक्षम अधिकारी/राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कः-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्तमान में भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।

2. नौकरियों में अभी भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है।

3. पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासनिक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगे गए उक्त विवरणों के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने देशव्यापी सर्वे कर आंकड़ों का संकलन कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे भारत सरकार को भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति/जनजाति समाज की ओर से भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार स्वयं उच्चतम न्यायालय में एम. नागराज केस में पार्टी बनकर उक्त निर्णय को चुनौती दें, क्योंकि इस केस के निर्णयानुसार मांगे गए उक्त विवरण अनावश्यक है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी मामले में निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है।

मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें, ताकि अनेक प्रदेशों में अनावश्यक रूप से पैदा की गई भ्रामिक स्थिति समाप्त हो।